

आलय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
142/2024

दायर दिनांक
02.12.2024

निर्णय दिनांक
14.02.2025

अनवान

1. गोकल पिता पृथ्वीराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गोपीबाई पत्नी गोकल जाति जाट आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरजमल पिता परथु जाति जाट आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. हीरालाल पिता परथु जाति जाट आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. कान्ता पुत्री हीरालाल पत्नी बोललाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी पाण्डोली हाल कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
4. प्रेमबाई पुत्री हीरालाल जाट पत्नी प्रभूलाल आयु वयस्क निवासी पाण्डोली हाल तरनावों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
5. सीता पुत्री हीरालाल पत्नी सुरेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी पाण्डोली हाल मु0 देवजी का खेडा घासुण्डा जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
6. रतन पिता नन्दा जाति जाट आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. मोहन पिता जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. रतन पिता हेमराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. लक्ष्मण पिता हजारी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. तुलसीराम पिता अमरचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. नानालाल पिता भुरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री आसिफ इकबाल
एकतरफा

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा



Ray
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़


पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 738 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2242, 2244, 2245, 2246, 2247, 2325, 2327, 2328 कुल किता 08 कुल रकबा 2.66 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 737 की अभिलिखित आराजी संख्या 1044 रकबा 0.75 हैक्ट0, आराजी संख्या 2326 रकबा 0.12 हैक्ट0 तथा आराजी संख्या 2243 रकबा 0.48 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 के विरुद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई तथा शेष अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 738 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2242, 2244, 2245, 2246, 2247, 2325, 2327, 2328 कुल किता 08 कुल रकबा 2.66 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 737 की अभिलिखित आराजी संख्या 1044 रकबा 0.75 हैक्ट0, आराजी संख्या 2326 रकबा 0.12 हैक्ट0 तथा आराजी संख्या 2243 रकबा 0.48 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 पाण्डोली को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजेश कुमार)
उपखण्ड-कपासन अधिकारी
(उपखण्ड-कपासनकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़